न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 03/2023
जीसीएमएस नं. : 2023/28

प्रार्थीपक्ष :–

श्री कचरु पिता श्री माला उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत तेजपुरा (फलवा), भाग (द्वितीय), तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान राज्य द्वारा
जिला रसद अधिकारी,
बॉसवाडा

उपस्थित

विभागीय प्रतिनिधि

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976) विरूद्ध निर्णय दिनांक 12–04–2022, न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बॉसवाडा प्रकरण संख्या 44/2020

निर्णय

दिनांक :– 13–06–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत तेजपुरा (फलवा) भाग द्वितीय के उचित मूल्य दुकानदार श्री कचरु पिता माला के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जाँच कर श्री धर्मेन्द्र रोत प्रवर्तन निरीक्षक आनन्दपुरी द्वारा की जाकर दिनांक 05.10.2020 को जाँच रिर्पोट प्रस्तुत की गई। जाँच अनुसार अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओ को कम राशन सामग्री देकर गेहुँ का गबन करना पाया गया। जिस पर जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा प्रकरण 44/2020 दर्ज कर अपीलार्थी को दिनांक 10.11.2021 को निलंबित कर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.04.2022 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के पश्चात् दिनांक 12.04.2022 को श्री कचरु पिता श्री माला उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत तेजपुरा (फलवा), भाग

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

(द्वितीय), तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा का प्राधिकार पत्र सं. 966/1997 को निरस्त कर संपूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त करने निर्णय पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथीत व असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को सम्मन जारी किया गया।

दिनांक 16.02.2023 को रेस्पोण्डेंट जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि डीलर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जाँच प्रवर्तन निरीक्षक आनन्दपुरी द्वारा दिनांक 26.09.2020 को की गई एवं जाँच रिपोर्ट दिनांक 05.10.2020 को प्रस्तुत की गई। जाँच में पाई गई अनियमितताओ के आधार पर डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना आनन्दपुरी में एफआईआर क्रमांक 0222/16.11.2021 दर्ज करवाई गई। दिनांक 10.11.2021 को उसका प्राधिकार पत्र संख्या 966/1997 निलम्बित किया जाकर उसे दिनांक 10.11.2021 को ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब डीलर द्वारा दिनांक 12.04.2022 को दिया गया। जवाब में डीलर द्वारा 9.95 क्वि. गेहुँ का फर्जी ट्रांजेक्शन कर खुर्द बुर्द करने के सम्बन्ध में कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दिया गया। अनियमितताओ के आधार पर दिनांक 12.04.2022 को निर्णय पारित किया जाकर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 13.06.2024 को विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अपीलांट के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। विभागीय प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर अन्तिम बहस हेतु निवेदन किया। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 12.04.2022 के पश्चात् उक्त अपील दिनांक 20.01.2023 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार आठ माह के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई जो अवधि पार हो चुकी है। अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी के धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी को अपना प्राधिकार पत्र निरस्त होने व प्रतिभूति राशि रु. 1000 जब्ती की जानकारी होने पर प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर एक माह की अवधि में अपील प्रस्तुत की है। अपील में देरी का कारण युक्तियुक्त, सद्भाविक एवं न्याय संगत होकर क्षम्य किये जाने योग्य है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित है। हमने अपीलार्थी के अपील मैमो का अवलोकन किया अपीलार्थी की ओर से अपील मैमो में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है। विचारण के दौरान अपीलार्थी

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

को नही सुना गया है। प्रत्यर्थी ने ग्राम पंचायत तेजपुरा (फलवा) के डीलर अपीलार्थी श्री कचरु पिता माला द्वारा अपनी पोस मशीन से गॉव तेजपुरा (फलवा) के 8 उपभक्ताओ का 995 किलोग्राम गेहुं आवंटन का गबन करना बताया गया है जो पूर्णतया मिथ्या, मनघडन्त व निराधार है। अपीलार्थी डीलर कचरु पिता माला द्वारा किसी प्रकार के गेहुं का गबन नही किया गया है। अपीलार्थी द्वारा पोस मशीन उपयोग में आने के पश्चात् कई उपभोक्ताओ को राशन कार्ड के अभाव में भी राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए राजनैतिक प्रभाव में राशन कार्डो के अन्दर मिथ्या प्रविष्ठियां की गई है। जिससे स्पष्ट है कि, अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई राशन सामग्री को कोई गबन नही किया है और यदि कोई भूल अपीलार्थी से हुई है वह भूल भी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से नही हुई है। अपीलार्थी वर्ष 1997 से राशन डीलर का कार्य नियमानुसार कर रहा है। अपीलार्थी द्वारा विगत 23 वर्षो से कोई अनियमितताऐं नही की गई है। अपीलार्थी द्वारा उपभाक्ताओ को बराबर समय पर नियंत्रित सामग्री का वितरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा सामग्री बराबर उठाई जाकर नियमानुसार वितरण किया गया जा रहा है। अपीलार्थी के स्टॉक रजिस्टर में नियमित इन्द्राज किया जा रहा है। अपीलार्थी के कार्य क्षैत्र में ग्राम पंचायत तेजपुरा (फलवा) जैसा बडा गांव आता है। जिसमे बडी मात्रा में लोग रहते है। परन्तु कुछ उपभाक्तओ से बात कर प्रश्नगत कार्यवाही अपीलार्थी के विरुद्ध अमल में लाई गई है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 05.10.2020 को अपीलार्थी की उचित मुल्य दुकान का निरीक्षण करना बताया है। जबकि कोविड 19 कोरोना वैश्विक महामारी राष्ट्र में व्याप्त थी। उक्त अवधि के दौरान अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा हर जरुरत मंद को भोजन हेतु राशन उपलब्ध कराने के निर्देश

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जारी किये गये थे तथा उपभोक्ताओ को धर धर जाकर राशन वितरण करने हेतु निर्देशित किया गया था। उस दौरान पॉस मशीन व राशन कार्ड में इन्द्राज की बाध्यता से भी छुट प्रदान की थी। इस कारण कुछ उपभाक्ताओ के राशनकार्ड में इन्द्राज नही होना अनियमितता की श्रेणी में नही आता है। परन्तु विद्वान अधिनस्थ न्यायालय प्रत्यर्थी ने प्रश्नगत निर्णय पारित कर व उक्त स्थिति को नजरअंदाज कर विधि एवं तथ्यो की गम्भीर भूल की है। अपीलार्थी के विरुद्ध कोई शिकायत नही आयी है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अलग अलग उपभोक्ताओ के बयान साइक्लोस्टाईल के रुप में लिये गये है, जाँच रिपोर्ट में गम्भीर विरोधाभास है। सम्पूर्ण शिकायत मनमानी व झूठी है। सम्पूर्ण जाँच रिपोर्ट राजनैतिक दबाव में बनाई गई है। अपीलार्थी के विरुद्ध उपभोक्ताओ की ओर से कोई शिकायत प्रत्यर्थी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अथवा जाँच कर्ता को प्रस्तुत नही की है। जिन 8 उपभोक्ताओ के राशनकार्ड के इन्द्राज के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है उनके मौखिक बयान अथवा कोई शिकायत जांचकर्ता अथवा प्रत्यर्थी ने प्राप्त नही किये है। अपीलार्थी द्वारा उनके उपभोक्ताओ को उनकी आवश्यकता अनुसार मांग किये जाने पर जितनी सामग्री का वितरण किया उतना अंकन राशनकार्ड में किया गया है। साथ ही सम्पूर्ण पत्रावली पर अपीलार्थी के विरुद्ध नियंत्रित सामग्री अथवा खाधान्न के दुरुपयोग अथवा दुर्विनियोग करने का कोई साक्ष्य मौजुद नही है। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा का उक्त निर्णय दिनांक 12.04.2022 को अपास्त फरमावे, अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 966/1997 को पुनः बहाल किया जावे, तथा प्रतिभूति राशि रुपया 1000/– दिलाया जावे।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

विभागीय प्रतिनिधि ने बहस में जवाब में उल्लेखित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि डीलर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जाँच प्रवर्तन निरीक्षक आनन्दपुरी द्वारा दिनांक 26.09.2020 को की गई एवं जाँच रिपोर्ट दिनांक 05.10.2020 को प्रस्तुत की गई। जाँच में पाई गई अनियमितताओ के आधार पर डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना आनन्दपुरी में एफआईआर क्रमांक 0222/16.11.2021 दर्ज करवाई गई। दिनांक 10.11.2021 को उसका प्राधिकार पत्र संख्या 966/1997 निलम्बित किया जाकर उसे दिनांक 10.11.2021 को ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब डीलर द्वारा दिनांक 12.04.2022 को दिया गया। जवाब में डीलर द्वारा 9.95 क्वि. गेहुँ का फर्जी ट्रांजेक्शन कर खुर्द बुर्द करने के सम्बन्ध में कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दिया गया। अनियमितताओ के आधार पर दिनांक 12.04.2022 को निर्णय पारित किया जाकर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने के विनिश्चय के पश्चात् विभागीय प्रतिनिधि की बहस एवं अपीलार्थी के अपील मैमो पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी के निर्णय दिनांक 12.04.2022 एवं प्रवर्तन निरीक्षक आनन्दपुरी की जाँच रिपोर्ट दिनांक 05.10.2020 से जाहिर होता है कि राशन डीलर श्री कचरु पिता श्री माला उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत तेजपुरा (फलवा), भाग (द्वितीय), तहसील आनन्दपुरी द्वारा गेहुं का दुरुपयोग किया गया है एवं पोस की पर्ची नही दिया जाकर प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपुर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश एफ 13(49) खा.वि.

/ आवंटन/ 2015–II दिनांक 05.08.2016 की अवहेलना की है। अपील अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–04–2022 को यथावत् रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बाँसवाडा